

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10106/5202-03

दिनांक : 01-12-2021

सेवा में

1. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम ।
2. वन मण्डल अधिकारी, फरीदाबाद ।

विषय : Diversion of 0.4144 ha. of forest land for approach access to retail Outlet of Adani CNG Station in village Mewla Maharjpur on Surajkund road, under forest division and District Faridabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/50208/2020 now FP/HR/Others142821/2021

संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 2704 दिनांक 19-05-2021 ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको भारत सरकार के पत्र क्रमांक 9-HRB069/2021-CHA दिनांक 19.05.2021 की प्रति संलग्न भेजते हुए लिखा जाता कि संलग्न पत्र के मद संख्या (i), (iii), (iv), (vii) & (viii) की सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भेजे तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी प्रोपर लिंक के तहत सूचना अपलोड की जाए ताकि प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा सके ।

संलग्न/उपरोक्त

पृ0क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10106/5204

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।
दिनांक : 01-12-2021

एक प्रति LTY, FARMS Pvt. Ltd. SCF No. 157, Sector-9, Shopping Complex, Faridabad, Haryana को ई-मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।



File No.9-HRB069/2021-CHA

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE

CHANGE एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ /Integrated Regional
Office, Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRB069/2021-CHA

दिनांक: 19-05-2021

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक (सी एफ),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा
(effepanchkula@gmail.com)

विषय: Diversion of 0.4144 ha of forest land for approach access to retail outlet of Adani CNG station in village Mewla Maharajpur on Surajkund road, under forest division and District Faridabad, Haryana. (online proposal no. FP/HR/Approach/50208/2020)-reg.

Ref: State Government online proposal received on dated 12.05.2021

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.4144 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. अतः प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:-

- State Government is requested to direct the User Agency to apply a fresh proposal under category 'Others' instead of 'Approach Access' and withdraw the current proposal from web portal.
- Total period of forest land is shown as 20 years instead of 15 years.
- NOC from MC Faridabad to be submitted. ✕
- NOC from Haryana Vikas Parsdhikaran to be submitted ✕
- Undertaking to pay CA, NPV and Addl. NPV to be submitted.
- Amount of NPV is not mentioned in provided CA scheme. Correct revised CA scheme to be submitted.
- Correct authorization letter to be uploaded online. ✕
- Justification of location of this pump being non site-specific, on forest land which is being monitored by the Hon'ble Supreme Court of India to be given. ✕

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(के जेड भुटिया)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by KARMA
ZIMPA BHUTIA

Date: 2021.05.19 14:45:18 IST

1. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Faridabad Haryana.

2. KARMA FARM PRIVATE LIMITED, SCF NO - 157, SECTOR -9, SHOPPING COMPLEX, FARIDABAD,
HARYANA. (malikassociates@gmail.com)

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in